

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिक का उसके सामने अंकित कॉलम सं. 7 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	RAMESH KUMAR SHARMA / KAILASH CHANDRA SHARMA	इतिहास	क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/प्रोब-स्थाई/पीएससी-15/ इतिहास / 2019 दिनांक 14.08.2019 के क्रम संख्या 20 पर	कालम 7 में क्रम संख्या 20 पर स्थायीकरण/ नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि 29.06.2019 के स्थान पर 29.07.2019 पढी जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढी जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति-वाणि./स्थायी./संशोधन/2019 दिनांक-10.08.2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (युप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम ऐनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर